

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

रीना बाला बनाम

ईमीचन्द वगै.

किस्म मुकदमा :-प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
व 2011/00003

मु.नं. एवं सन 62/11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
05.12.19	<p>पत्रावली पे 1 हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपने पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थाई व्यादे 1 को मूल वाद में फैसला होने तक स्थाई करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने उभयपक्ष को अन्तरिम अस्थाई व्यादे 1 से पाबंद करने का निवेदन किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को पूर्व में जारी अतंरिम अस्थाई व्यादे 1 31.08.11 की पालना हेतु पाबंद कर इस आदे 1 को ताफैसला स्थायी किया जाता है। पत्रावली फौ 1ल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p>	